


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8  
नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तामील  
में जारी हुए

24.05.2024:—पत्रावली आज पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। प्रार्थी का मूल वादपत्र अदम हाजरी खारिज हो गया। मूल वाद पत्र अदम हाजरी में खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए वादपत्र डिकी होने के कारण उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़